रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092024-256976
CG-DL-E-07092024-256976

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946
No. 502] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 544(अ)— केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 के, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. वेतन.- (1) 1 जनवरी, 2024 से अध्यक्ष को पांच लाख बासठ हजार पांच सौ रुपये का समेकित मासिक वेतन दिया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को पांच लाख रुपये का समेकित मासिक वेतन दिया जाएगा और वे आवास और कार के हकदार नहीं होंगे।"।

[फा. सं. कॉम्प-05/9/2024-प्रतिस्पर्धा-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन.- यह घोषित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से अधिसूचना जारी करने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि.*784(अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2003 के द्वारा* प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 190(अ), तारीख 28 फरवरी, 2018 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2024

G.S.R. 544(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (1) of section 14 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

"3. Pay.— (1) With effect from the 1st day of January, 2024, the Chairperson shall be paid a consolidated monthly salary of five lakh sixty-two thousand five hundred rupees and every Member shall be paid a consolidated monthly salary of five lakh rupees and they shall not be entitled to house and car.".

[F. No. Comp-05/9/2024-COMPT-MCA]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.— It is hereby declared that by issuing the notification with retrospective effect, the interest of no person shall be adversely affected.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 784(E), dated the 6th October, 2003 and last amended *vide* number G.S.R. 190 (E), dated the 28th February, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.